

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

प्र06-विविध-49/2013 8815

पटना, दिनांक - 19.11.15

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के धारा- 9 के अन्तर्गत निर्धारित व्यक्तियों की संख्या के अधीन रहते हुए लक्षित जन वितरण प्रणाली के अधीन राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पात्र गृहस्थियों की पहचान करने हेतु बिहार-सरकार निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत विनिश्चित करती है :-

1. राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में SECC डाटा के आधार पर निम्नलिखित श्रेणी के गृहस्थियाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में पात्र परिवार की श्रेणी में नहीं होंगी :-

(क) ग्रामीण क्षेत्र में

- I. मोटर चालित तिपहिया/चार पहियों वाले वाहन वाली गृहस्थी ;
Households owning motorized three/four wheelers
अथवा/OR
- II. मशीन चालित तीन/चार पहियों वाले कृषि उपकरण वाली गृहस्थी ;
Households owning mechanized three/four wheeler agricultural equipments .
अथवा/OR
- III. सरकारी सेवक वाले किसी सदस्य का परिवार* वाली गृहस्थी ;
Households with any member as Government Employee*
अथवा/OR
- IV. सरकार में पंजीकृत गैर-कृषि उद्योग वाले परिवार वाली गृहस्थी ;
Households with non-agricultural enterprises registered with Government
अथवा/OR
- V. परिवार का कोई सदस्य 10,000/- रुपये प्रति माह से अधिक कमाने वाली गृहस्थी ;
Households with any member earning more than Rs. 10,000 P.M .
अथवा/OR
- VI. आयकर अदा करने वाली गृहस्थी ;
Households paying income tax
अथवा/OR
- VII. व्यवसायिक कर अदा करने वाली गृहस्थी ;
Households paying professional tax
अथवा/OR
- VIII. सभी कमरों में पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरों वाली गृहस्थी ;
Households with three or more rooms with pucca walls and pucca roof.
अथवा/OR

- IX. कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि वाली गृहस्थी ;
Households owning 2.5 acres or more irrigated land with at least one irrigation equipment
अथवा /OR
- X. दो अथवा उससे अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि वाली गृहस्थी ;
Households owning 5 acres or more land irrigated for two or more crop seasons
अथवा /OR
- XI. कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि वाली गृहस्थी ;
Households owning at least 7.5 acres or more land with at least one irrigation equipment .

(ख) शहरी क्षेत्र में

- I. तीन कमरे या उससे अधिक (पक्का) कंक्रीट छतयुक्त मकान वाली गृहस्थी जो स्वयं स्वामित्व में हों ;
Households owning concrete roof three rooms (Self owned) or more
अथवा OR
- II. निम्नलिखित आस्तियों वाली गृहस्थी ;
Households owning following assets :
(a) दो पहिया वाहन / Two wheeler ;
(b) रेफ्रिजरेटर / Refrigerator ;
(c) वाशिंग मशीन / Washing Machine ;
अथवा OR
- III. चार पहिया वाहन या एयर कंडीशनर वाली गृहस्थी ।
Households owning four wheeler or AC .

2. शहरी क्षेत्रों में, निम्नलिखित व्यक्तियों को, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन पात्र परिवारों की श्रेणी में, शामिल किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

- (a) भिखारी / कूड़ा चुननेवाला / Beggar/Rag Picker
(b) घरेलू श्रमिक Domestic Workers
(c) फूटपाथी दुकानदार / मोची / फेरीवाला / गली-मुहल्ले में अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराने वाला /
Street vendor/cobbler/hawker/other service provider working on street
(d) निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक / नलसाज / राजमिस्त्री / श्रमिक / पेंटर / वेल्डर / सुरक्षा प्रहरी / कुली एवं सिर पर बोझ उठाने वाले अन्य श्रमिक /
Construction worker / plumber / mason /labour/ painter/welder /security guard/coolie and other head load worker
(e) झाड़ूकश / सफाईकर्मी / माली / Sweeper/sanitation worker/mali
(f) घरेलू कार्य में संलग्न श्रमिक / शिल्पकार / हस्तशिल्प कर्मी / दर्जी /
Home based worker/artisan/handicraft worker/tailor
(g) परिवहन कर्मी / चालक / परिचालक / खलासी / रिक्शाचालक /

Transport worker/driver/conductor/helper to drivers and conductors/
rickshaw puller

(h) दुकान कर्मी/सहायक/अनुसेवक (छोटे स्थापन के लिए)/खलासी/डाक वितरण
सहायक/परिचर/बैरा/

Shop worker/assistant/peon in small establishment/helper/delivery
assistant / attendant/waiter

(i) बिजली मिस्त्री/मैकेनिक/एसेम्बलर/मरम्मतकर्ता /
Electrician/mechanic/assembler/repair worker

(j) धोबी/चौकीदार/ Washer man/ chowkidar

3. शहरी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत आच्छादित होने हेतु योग्य परिवारों को
निम्नलिखित स्व-घोषणाएँ करनी होंगी :-

(i) परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में न है * /

No household member is in a Government job*

(ii) परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई गैरकृषि उद्यम सरकार के अधीन निबंधित न
है /

No household member has a Non-Agriculture enterprise registered with
the Government

(iii) परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता न है /

No household member is paying income tax

(iv) परिवार का कोई सदस्य पेशाकरदाता न है /

No household is paying professional tax

(v) परिवार का कोई सदस्य प्रतिमाह रू0 20,000/- से अधिक आय अर्जित नहीं करता
है /

No household member is earning an income more than Rs 20,000 per
month

* सरकारी सेवा से अभिप्रेत है केन्द्र एवं राज्य सरकार, लोक उपक्रम, स्थानीय निकाय
एवं स्वशासी संस्थाओं में नियमित वेतनमान में कार्यरत कर्मी की सेवा ;

4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की उक्त आबादी से ग्रामीण एवं नगरीय
क्षेत्र में मार्गदर्शक सिद्धांत के आधार पर पात्र परिवारों की पहचान लक्षित जन वितरण
प्रणाली के अधीन आच्छादित करने हेतु की जाएगी । सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित
जनगणना में, निम्नलिखित श्रेणी के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के गृहस्थी,
खाद्य सुरक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे : -

(I) आयकर अदा करने वाली गृहस्थी ;

Households paying income tax

अथवा / OR

(II) वर्ग 1, वर्ग 2 एवं वर्ग 3 श्रेणी के सरकारी सेवक वाले किसी सदस्य का
परिवार* /

Households with any member as Government Employee*
belonging to group I, II and III

अथवा / OR

(III) व्यवसायिक कर अदा करने वाली गृहस्थी ;

Households paying professional tax

अथवा / OR

(IV) तीन कमरे या उससे अधिक (पक्का) कंक्रीट छतयुक्त मकान वाली गृहस्थी जो स्वयं स्वामित्व में हो/

Households owning concrete roof three rooms (Self owned) and more

उपरोक्त शर्तों के रहते हुए भी, राज्य सरकार की अ0जा0/अ0ज0जा0 के Group 'D' के कर्मी पात्र माने जाएंगे ।

*सरकारी सेवा से अभिप्रेत है केन्द्र एवं राज्य सरकार, लोक उपक्रम, स्थानीय निकायों एवं स्वशासी संस्थाओं में नियमित वेतनमान में कार्यरत कर्मी की सेवा :

5. राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले असहाय (Destitutes) व्यक्तियों एवं 45 वर्ष उम्र तक की विधवाओं को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए लक्षित जन वितरण प्रणाली के अधीन अच्छादित करने हेतु इनकी पात्रता की शर्तें निम्नलिखित होंगी:-

(क) असहाय (Destitutes) व्यक्ति की पात्रता की शर्तें :-

(i) सभी श्रेणी के वैसे असहाय (Destitutes) व्यक्ति जिनका नाम सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के अधीन आच्छादित नहीं है ।

(ii) ऐसे व्यक्तियों की पहचान, ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में, नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत द्वारा की जाएगी ।

(ख) विधवा महिला की पात्रता की शर्तें :-

(i) 45 वर्ष की उम्र तक की सभी श्रेणी की विधवा पात्र होंगी ।

(ii) "सरकारी सेवा" में कार्यरत 45 वर्ष की उम्र तक की सभी श्रेणी की विधवा पात्र नहीं मानी जाएगी ।

(iii) 45 वर्ष की उम्र तक की सभी श्रेणी की आयकर दाता विधवा पात्र नहीं मानी जाएगी ।

(iv) वैसे गृहस्थी की 45 वर्ष की उम्र तक की सभी श्रेणी की विधवा जिनके पास कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है, पात्र नहीं मानी जाएगी ।


(v) वैसे गृहस्थी की 45 वर्ष की उम्र तक की सभी श्रेणी की विधवा जिनके पास दो अथवा उससे अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है, पात्र नहीं मानी जाएगी ।

(vi) वैसे गृहस्थी की 45 वर्ष की उम्र तक की सभी श्रेणी की विधवा जिनके पास कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि है, पात्र नहीं मानी जाएगी ।

(vii) उक्त श्रेणी की विधवा को, एक बार पात्रता-मानकों के अधीन चयनित हो जाने पर, 45 वर्ष की उम्र सीमा के पश्चात् भी योजना का लाभ मिलेगा ।


* "सरकारी सेवा" से अभिप्रेत है केन्द्र एवं राज्य सरकार, लोक उपक्रम, स्थानीय निकायों एवं स्वशासी संस्थाओं में नियमित वेतनमान में कार्यरत कर्मी की सेवा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(पंकज कुमार)


सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक - प्र06-विविध-49/2013 8815 खाद्य-पटना/दिनांक- 19.11.15
प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के
असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं उसकी मुद्रित एक हजार प्रतियों (1000 प्रतियां) विभाग को
सुलभ कराने हेतु प्रेषित।



सरकार के सचिव।

ज्ञापांक - प्र06-विविध-49/2013 8815 खाद्य-पटना/दिनांक- 19.11.15
प्रतिलिपि - मुख्यमंत्री, बिहार, पटना के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सचिव,
बिहार विधान सभा/विधान परिषद, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी विभाग/प्रबंध
निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, सोन भवन, पटना/सभी
विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के सचिव।